

समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)

-: **आदेश** :-

जिला स्क्रीनिंग समिति-सह-जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 18.10.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-4685 वि०/०2 दिनांक-25.06.2003 एवं अधिसूचना ज्ञापांक-6068 दिनांक-13.06.2013 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 के अधीन 12 वर्ष/24 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने एवं प्रतिकूल चारित्रिक अभ्युक्ति संसूचित नहीं रहने के फलस्वरूप निम्नलिखित कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम में वर्णित तिथि से एवं वेतनमान में क्रमशः प्रथम/द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ देने का आदेश दिया जाता है। संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(A)(1) के अधीन नियत किया जायेगा :-

क्र०	नाम एवं पदनाम	नियुक्ति की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान	द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री रमण कुमार श्रीवास्तव, लिपिक, समाजिक सुरक्षा कोषांग, दरभंगा	04.03.1982	09.08.1999 वेतनमान-5000-8000	04.03.2006 वेतनमान-5500-9000	इन्हें दिनांक 04.03.1985 से सेवा सम्पुष्ट की गयी है

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ कर्मियों को वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने से पहले यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं हो। साथ ही संबंधित कर्मियों से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लेंगे कि किसी प्रकार की त्रुटि या भूल के कारण यदि अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो उक्त राशि संबंधित कर्मियों से वसूलनीय होगी।

स्थापना उप समाहर्ता,
दरभंगा।

ज्ञापांक-02-53/13-14-1713 /स्था०, लहेरियासराय, दिनांक ०९ वीं नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/उप कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

स्थापना उप समाहर्ता,
दरभंगा।

२०.११.१६